

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० ६३/२० ता० रजु. 6-1-२० किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-२-२०२०

सरकार

बनाम

शिवचरण-भगवान सिंह पुत्रा लुड्डन तह० बयाना जिला-भरतपुर।
जश्व रवतगवली

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का रवतगवली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम रवतगवली के खसरा न० 176 रकवा 0.30 हैक्ट में से रकवा 0.30 हैक्ट किस्म भूमि सारागाह पर सम्बत 2076 में श्री शिवचरण-भगवान सिंह पुत्रा लुड्डन जश्व तह० बयाना ने गौड़ कर अतिक्रमण कर लिया है। रवतगवली

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल भिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 176 रकवा 0.30 हैक्ट वाके ग्राम रवतगवली से बेदखल किया जाता है। लगान 1.80 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 2.50/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वरूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 4-२-२०२० को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शिवचरण-भगवान सिंह पुत्रा लुड्डन
वा. जे. सं. 04 तहसील नं. 32
दिनांक 5/2/20 को पेश
पैनल्टी रु. 240/-
श्री वा. पुत्रा लुड्डन
तहसीलदार बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

